सत्यमेव जयते

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

भारत के लोकपाल

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

सत्यमेव जयते

मा गृधः कस्यस्विद्धनम्

भारत के लोकपाल

वार्षिक रिपोर्ट

2020-21

(1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक)

विषय सूची

	प्राक्कथन	1
1.	पृष्ठभूमि और परिचय	3
2.	कानूनी प्रावधान	7
3.	भारत के लोकपाल	14
4.	संगठन और स्थापना	18
5.	शिकायतों से जुड़ी जांच और अन्वेषण	21
6.	ई- गवर्नेंस और अन्य गतिविधियां	26
7.	संलग्नक	32

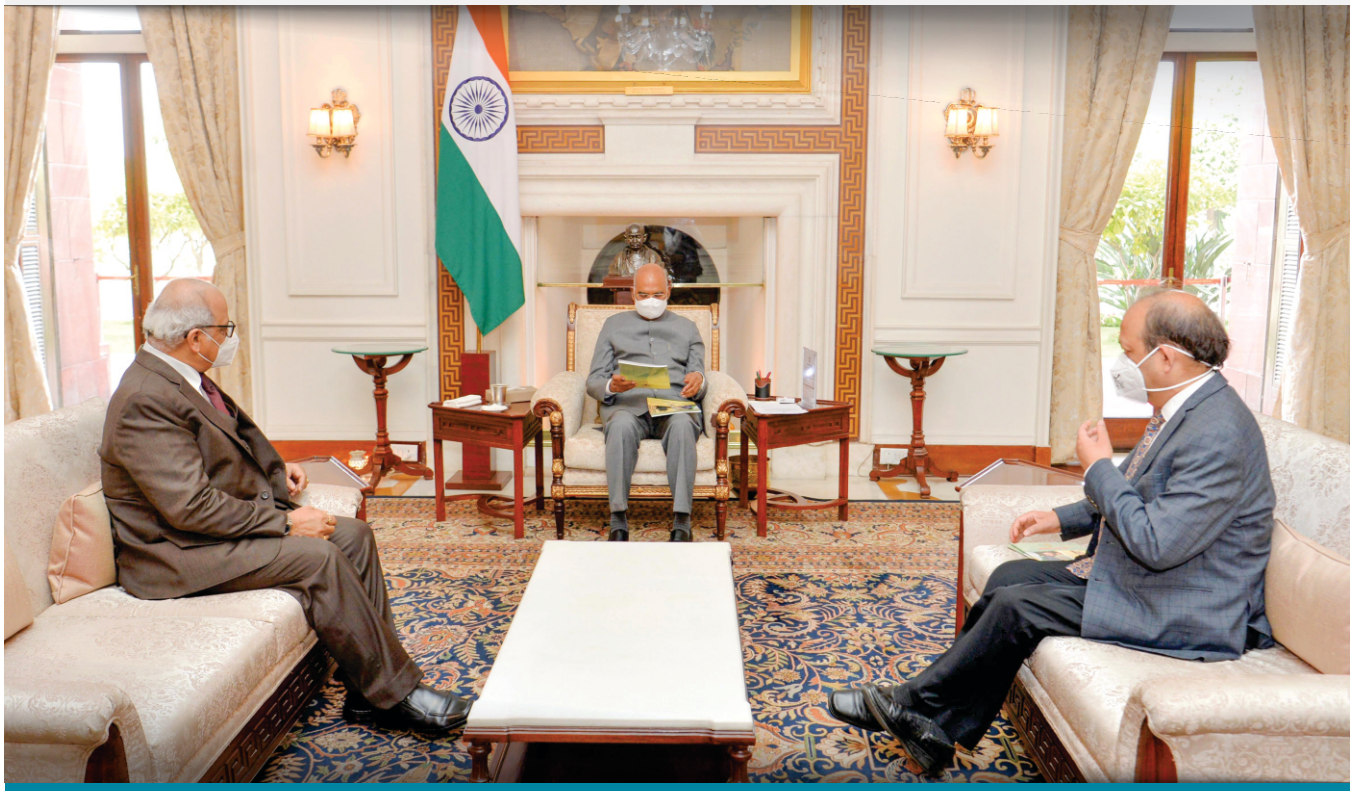

Foreword

न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष
अध्यक्ष

नई दिल्ली
31 मार्च, 2021

मैं भारत के राष्ट्रपति को 'भारत के लोकपाल' की दूसरी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। इस रिपोर्ट में 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक की अवधि में लोकपाल के कार्यकलापों को शामिल किया गया है।

'भारत के लोकपाल' का गठन भारत की शासन व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो संसद में और बाहर वर्षों तक विचार-विमर्श के बाद अस्तित्व में आया। भारत के लोग एवं मीडिया भारत के लोकपाल के कार्यकलापों पर उत्सुकता से नज़र रखे हुए हैं। 'भारत के लोकपाल' में जांच संबंधी प्रक्रिया शिकायत प्राप्त होते ही शुरू हो जाती है। मार्च 2020 में भारत सरकार ने लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के तहत लोकपाल में शिकायत दर्ज करने के लिए एक प्रारूप (फॉर्मेट) अधिसूचित किया। यह प्रारूप उस विवरण की जानकारी देता है, जिसे शिकायतकर्ता द्वारा प्रदान किया जाना है। इन नियमों की अधिसूचना से पहले, शिकायतकर्ताओं को शिकायत में उपलब्ध कराई जाने वाली सूचना के बारे कुछ ख़ास नहीं मालूम था; ऐसे में अपर्याप्त विवरण होने के कारण 'भारत के लोकपाल' को आगे की प्रक्रिया चलाने में अड़चन पेश आती थी। वास्तव में, प्रत्येक शिकायत का गहराई से आध्यान किया जाता है, और कोई भी कमी पाये जाने पर उसे शिकायतकर्ता के ध्यान में लाया जाता है तथा शिकायतकर्ता से संपर्क बना कर उन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जाते हैं।

शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर भी विकसित किया जा रहे है, ताकि भारत का कोई भी नागरिक किसी समय कहीं से भी शिकायत दर्ज करा सके। इस परियोजना पर कार्य काफ़ी आगे बढ़ चुका है, और इसे निकट भविष्य में चालू कर दिया जाएगा। इस पोर्टल का उपयोग नागरिकों और 'भारत के लोकपाल' के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा। यह शिकायतों को पूरी पारदर्शिता और जवाबदेही से निपटाने में बड़ा मददगार साबित होगा।

'भारत के लोकपाल' विभिन्न भ्रष्टाचार-निरोधी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने की दिशा में भी सक्रिय हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 'भारत के लोकपाल' द्वारा 23 मार्च, 2021 को भ्रष्टाचार-निरोधी रणनीतियों में समरूपता लाने संबंधी विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया। प्रयास इस

बात का है कि देश से भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए सभी एजेंसियां एकजुटता और पूर्ण समन्वय के साथ काम करें ताकि देशवासियों के आत्मसम्मान और गरिमा के साथ कोई खिलवाड़ न कर सके।

मैं लोकपाल के सभी माननीय सदस्यों तथा सचिव, संयुक्त सचिव और 'भारत के लोकपाल' के अन्य सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का आभारी हूँ कि उन्होंने इस संस्थान की स्थापना के कार्य - और किसी भी संस्थान के प्रारम्भिक काल में चुनौतियाँ तो अनेक होती ही हैं - के साथ ही साथ देशवासियों द्वारा दर्ज शिकायतों को निपटाने के लिए भी अथक प्रयास किए, वह भी कोविड-19 जैसी महामारी के काल में। मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'भारत के लोकपाल' देश से भ्रष्टाचार के उन्मूलन में सार्थक भूमिका निभा सकेंगे, ताकि देश के लोगों को सुशासन प्राप्त हो और उनका जीवन सुगम बन सके।

(न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष)

1. परिचय

'भारत के लोकपाल' का गठन देश की शासनव्यवस्था में एक ऐतिहासिक घटना है, जो भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए संसद के भीतर और बाहर वर्षों तक चले गहन विचार-विमर्श के बाद अस्तित्व में आया। भारत के लोगों ने लोक सेवकों के खिलाफ़ भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने में 'भारत के लोकपाल' को पूर्ण आज़ादी दे कर इस संस्थान के प्रति असीम विश्वास व्यक्त किया है।

भ्रष्टाचार जीवन के हर पक्ष पर कुठराघात करता है। यह विधि के शासन को क्षीण करता है जिसके परिणामस्वरूप मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, बाज़ारों को उँगलियों पर नचाया जाता है, और देश के नागरिकों को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भ्रष्टाचार के कारण देश की न केवल आर्थिक उन्नति बाधित होती है, बल्कि नागरिकों के बीच संसाधनों के समतापूर्ण वितरण में भी विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं। और, समान्यतः इसका सबसे अधिक दुष्प्रभाव गरीब और बेसहारा लोगों पर पड़ता है।

लोक सेवकों से संबन्धित लोकपाल और लोकयुक्त अधिनियम, 2013 देश की संसद द्वारा पारित भ्रष्टाचार-निरोधी कानून है, जो पूरे देश में लागू है। इसका उद्देश्य अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर संभव सभी प्रयासों के ज़रिये जनता के हितों की रक्षा करना है ताकि देश के नागरिकों की चिंताओं को दूर कर उनकी आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके, और सब प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाया जा किया जा सके।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सरकारी दफ़्तरों में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के इरादे से लोकपाल की नियुक्ति संबंधी कल्पना पहली बार 1960 के दशक के उत्तरार्ध में की गई थी। 3 अप्रैल, 1963 को लोक सभा में विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान भ्रष्टाचार को मिटाने और लोक शिकायतों के निपटान के लिए 'ऑम्बड्समैन' की तर्ज़ पर एक संसदीय

आयोग की स्थापना का सुझाव दिया गया। बहस के दौरान ऐसे संस्थानों के नाम के रूप में 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' शब्द का भी उल्लेख किया गया। 'लोकपाल' शब्द संस्कृत का शब्द है, जिसमें 'लोक' का अर्थ 'जनता' और 'पाल' का अर्थ 'रक्षक' है। इस शब्द की रचना स्कैन्डिनेवियन मूल के सिद्धान्त 'ऑम्बड्समैन' – जो सरकारी तंत्र के खिलाफ़ जनता की शिकायतों की जांच करने के लिए नियुक्त अधिकारी होता है – के भारतीय समकक्ष के रूप में की गई थी।

1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी व्यवस्था के खिलाफ़ जनता की शिकायतें दूर करने के लिए 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' वाले द्वि-स्तरीय जांच-तंत्र की सिफारिश की थी। इस सिफारिश के अनुसार, केंद्र में नियुक्त 'लोकपाल' को केन्द्र सरकार तथा राज्यों के मंत्रियों और सचिवों के विरुद्ध जन शिकायतों से निपटना था; जबकि प्रत्येक राज्य में नियुक्त किए जाने वाले 'लोकायुक्त' को अन्य सभी स्तर के अधिकारियों/ कार्मिकों के विरुद्ध जन शिकायतों से निपटना था। संविधान के कामकाज की

'भारत के लोकपाल' का गठन - समय चक्र

3 अप्रैल, 1963
भ्रष्टाचार से निपटने के लिए 'ऑम्बड्समैन' की तर्ज़ पर संसदीय आयोग के गठन संबंधी सुझाव

1966
प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जनता की शिकायतें दूर करने के लिए 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' वाले द्वि-स्तरीय तंत्र की सिफारिश की

1968
'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' विधेयक पहली बार चौथी लोक सभा में पेश

1969
पहला 'जन लोकपाल विधेयक' चौथी लोक सभा द्वारा पारित

1971
विधेयक लोक सभा में पुनः प्रस्तुत

1977
विधेयक को तीसरी बार रखा गया

1985
विधेयक को चौथी बार रखा गया

1989
विधेयक को पांचवीं बार रखा गया

1996
विधेयक को छठी बार रखा गया

1998
विधेयक को सातवीं बार रखा गया

2001

विधेयक को आठवीं बार रखा गया

2002

संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग, 2002 ने भी 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधानों की सिफारिश की

2005

विधेयक नौवीं बार प्रस्तुत

2008

विधेयक को दसवीं बार रखा गया

9 मई, 2011

'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते' की भारत द्वारा पुष्टि

4 अगस्त, 2011

'लोकपाल विधेयक' पेश किया गया

8 अगस्त, 2011

विधेयक गहन अध्ययन हेतु विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सुपुर्द

22 दिसंबर, 2011

स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर 'लोकपाल विधेयक, 2011' वापस लिया गया; उसकी जगह 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' नाम से संशोधित विधेयक पेश

27 दिसंबर, 2011

लोक सभा द्वारा विधेयक पारित

17 दिसंबर, 2013

राज्य सभा द्वारा विधेयक पारित

1 जनवरी, 2014

राष्ट्रपति की मंजूरी मिली

16 जनवरी, 2014

लागू हुआ

23 मार्च, 2019

'भारत के लोकपाल' के सर्वप्रथम अध्यक्ष ने पद की शपथ ली

27 मार्च, 2019

सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह

समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग, 2002 ने भी 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' की नियुक्ति के लिए संवैधानिक प्रावधान किए जाने की सिफारिश की। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी देश के संविधान में उपयुक्त संशोधन कर यथाशीघ्र 'लोकपाल' और 'लोकायुक्त' की नियुक्ति की सिफारिश की।

लोकपाल की नियुक्ति हेतु पहली बार एक विधेयक 'लोकपाल एवं लोकायुक्त विधेयक, 1968' के रूप में चौथी लोक सभा में पेश किया गया था। इस तरह के विधेयक अनेक बार अर्थात् 1971, 1977, 1985, 1989, 1996, 1998, 2001 में तथा 2011 में दो बार पेश किए गए। लोकपाल विधेयक अंततः 4 अगस्त, 2011 को प्रस्तुत किया गया और फिर उसे 8 अगस्त, 2011 को गहन अध्ययन हेतु विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया। इस समिति की सिफारिशों के आधार पर लोकपाल विधेयक, 2011 को वापस ले लिया गया, तथा उसके स्थान पर 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' नाम से संशोधित विधेयक 22 दिसंबर, 2011 को पुनः लोक सभा में पेश किया गया।

इस विधेयक को लोक सभा ने कुछ संशोधनों के साथ पारित कर दिया। लोक सभा द्वारा यथा पारित विधेयक को राज्य सभा ने अपनी प्रवर समिति को भेज दिया। प्रवर समिति की रिपोर्ट के अनुरूप सरकार ने 'लोकपाल और लोकायुक्त विधेयक, 2011' को संशोधित किया। तत्पश्चात, राज्य सभा ने कुछ संशोधनों के साथ इस विधेयक को पारित कर दिया, तथा आगे के अनुमोदन के लिए उसे लोक सभा को लौटा दिया। लोक सभा ने भीं राज्य सभा द्वारा यथा संशोधित विधेयक को पास कर दिया। अंततः विधेयक को 1 जनवरी, 2014 को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई, और उसे उसी दिन 'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' (2014 का संख्यांक 1) के रूप में अधिसूचित कर दिया गया। अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत केंद्र सरकार ने अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होने की तिथि 16 जनवरी, 2014 नियत की। अधिनियम में 'लोकपाल और लोकायुक्त (संशोधन) अधिनियम, 2016' के ज़रिये एक बार संशोधन किया गया है।

'लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013' का उद्देश्य मौजूदा कानूनी और संस्थागत व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ कर 'भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र समझौते' – जिसकी पुष्टि भारत ने 9 मई, 2011 को की - के कुछ प्रावधानों को और असरदार ढंग से लागू करना है।

अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, 'लोकपाल' के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की सिफ़ारिशों के पश्चात की जाती है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा नामित एक सुविख्यात विधिवेत्ता - जिसे चयन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर नामित किया जाता है – सदस्य होते हैं।

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को 'भारत के लोकपाल' का पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 23 मार्च, 2019 को उन्हें पद की शपथ दिलाई। बाद में, चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा 27 मार्च, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पद की शपथ दिलाई गई।

2. कानूनी प्रावधान

'भारत के लोकपाल' लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत काम करते हैं। संक्षेप में इस कानून की मुख्य विषेशताएं इस प्रकार हैं:

भारत के लोकपाल का क्षेत्राधिकार (धारा 14)

'लोकपाल' निम्नलिखित के बारे में की गई किसी भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत की जांच कर सकता है या जांच करवा सकता है, अर्थात्:-

(क) ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रधानमंत्री है या रहा हो;

परंतु 'लोकपाल' प्रधानमंत्री के विरूद्ध भ्रष्टाचार संबंधी शिकायत से जुड़े या उससे उत्पन्न होने वाले ऐसे किसी मसले की वहाँ तक जांच नहीं करेगा,

i.) जहां तक वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था, परमाणु ऊर्जा तथा अंतरिक्ष से संबंधित हो;

ii.) बशर्ते कि 'लोकपाल' के अध्यक्ष और सभी सदस्यों से मिल कर बनी 'लोकपाल' की पूर्ण न्याय पीठ ऐसी जांच शुरू करने के बारे में विचार करे और उसके कम से कम दो-तिहाई सदस्य ऐसी जांच करने का अनुमोदन कर दें।

(ख) कोई व्यक्ति जो संघ का मंत्री है या रहा हो;

(ग) कोई व्यक्ति जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या रहा हो;

(घ) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) में यथा परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'क' या समूह 'ख' का कोई अधिकारी या उसके समतुल्य या उससे उच्चतर अधिकारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की हो;

(ड.) धारा 20 की उपधारा (1) के प्रावधान के अधीन रहते हुए, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2 के खंड (ग) के उपखंड (i) एवं (ii) में यथा परिभाषित लोक सेवकों में से समूह 'ग' या समूह 'घ' का कोई पदधारी या उसके समतुल्य पदधारी, जब वह संघ के कार्यों के संबंध में सेवारत है या जिसने सेवा की हो;

(च) ऐसा कोई व्यक्ति, जो संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित या उसके द्वारा नियंत्रित निकाय या बोर्ड या निगम या प्राधिकरण या कंपनी या सोसायटी या न्यास या स्वशासी निकाय (चाहे वह किसी भी नाम से जाना जाता हो) का अध्यक्ष या सदस्य या अधिकारी या कर्मचारी है या रहा हो;

(छ) ऐसा कोई व्यक्ति जो प्रत्येक अन्य सोसाइटी या लोगों की एसोसिएशन या न्यास (चाहे उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत है या नहीं), चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, और जो सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित हो, जिसकी वार्षिक आय ऐसी रकम से अधिक है, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उसका निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा हो।

केंद्र सरकार ने दिनांक 20 जून, 2016 की अधिसूचना द्वारा इस राशि को एक करोड़ रूपये विनिर्दिष्ट किया है। इस उद्देश्य के लिए वार्षिक आय की गणना हेतु केवल केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदानों और वित्तीय सहायता पर ही विचार किया जाना होता है; और

(ज) ऐसा कोई व्यक्ति, जो विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 के तहत एक वर्ष में किसी विदेशी स्रोत से दस लाख रुपये से अधिक या ऐसी उच्चतर राशि का, जो केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे, दान प्राप्त करने वाली प्रत्येक अन्य सोसाइटी या लोगों की एसोसिएशन या न्यास (चाहे उस समय लागू किसी कानून के तहत पंजीकृत है या नहीं) का निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी है या रहा हो।

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति (धारा 4)

लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति - जिसमें प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, लोक सभा में विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित उच्चतम न्यायालय का एक वर्तमान न्यायाधीश और चयन समिति के अन्य सदस्यों की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामित एक विख्यात विधिवेत्ता शामिल होते हैं - की सिफारिश प्राप्त होने के बाद की जाती है।

अध्यक्ष और प्रत्येक सदस्य पांच वर्ष की अवधि के लिए या जब तक कि वे सत्तर वर्ष के न हो जाएं, जो भी पहले हो, पद पर रहेंगे।

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें (धारा 7)

अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें क्रमशः भारत के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान होंगी। अध्यक्ष या सदस्य के वेतन, भत्ते और देय पेंशन तथा सेवा की अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद ऐसे परिवर्तित नहीं की जा सकती हैं, जो उनके लिए अलाभकर हो।

पद से हटाने की प्रक्रिया (धारा 37)

अध्यक्ष या किसी सदस्य को उसके पद से कदाचार के कारण राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, जो आदेश वे इस बारे में कम से कम एक सौ सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका मिलने पर उच्चतम न्यायालय को किए गए निर्देश के बाद उसके द्वारा, ऐसे मामलों के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप, की गई जांच में अध्यक्ष या उस सदस्य को उक्त आधार पर हटाये जाने की रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात जारी करेंगे।

लोकपाल के सचिव, अधिकारी और अन्य कर्मचारी (धारा 10)

'लोकपाल' के सचिव की नियुक्ति, जो भारत सरकार के सचिव-स्तर का अधिकारी होता है, अध्यक्ष द्वारा इस बारे में केंद्र सरकार से मिले नामों की सूची में से किया जाता है। अध्यक्ष द्वारा जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक, जो कम से कम भारत सरकार के अपर सचिव या समतुल्य स्तर के अधिकारी होते हैं, की भी नियुक्ति की जाती है, जो केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से चुने जाते हैं। 'लोकपाल' के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी अध्यक्ष या उनके द्वारा तय किसी सदस्य या 'लोकपाल' के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाती है।

'लोकपाल' के ख़र्चों का भुगतान देश की संचित निधि से (धारा 13)

'लोकपाल' के प्रशासनिक ख़र्चों, जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है।

'लोकपाल' द्वारा प्रारंभिक जांच और अन्वेषण (धारा 20)

कोई शिकायत प्राप्त होने पर 'लोकपाल' यदि आगे कार्यवाही करने का निर्णय करता है, तो वह किसी भी लोक सेवक के खिलाफ़ अपने जांच खंड या किसी अन्य एजेंसी (दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन सहित) को यह पता लगाने के लिए प्रारंभिक जांच का आदेश दे सकता है कि क्या इस मामले में कार्यवाही करने का सरसरी तौर पर मामला बनता है या नहीं।

यदि 'लोकपाल' प्रारंभिक जांच करने का फैसला करता है तो उसे किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा, समूह 'क', 'ख', 'ग' या 'घ' के लोक सेवकों के संबंध में मिली शिकायत या शिकायतों या शिकायतों के किसी समूह को केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय सतर्कता आयोग को भेजना होगा।

प्रारंभिक जांच के दौरान जांच खंड या अन्य एजेंसी (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित) ठोस जानकारी और इकट्ठा किए गए दस्तावेज़ों के आधार पर सम्बद्ध लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां मांगेगी, जिसके बाद वह लोकपाल को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, जो निर्देश प्राप्त होने की तिथि से साठ दिनों के भीतर किया जाना होगा।

प्रत्येक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर 'भारत के लोकपाल' के कम से कम तीन सदस्यों वाली न्यायपीठ विचार करेगी, और लोक सेवक को सुने जाने का अवसर देने के बाद यह तय करेगी कि क्या सरसरी तौर पर मामला बनता है, जिसके बाद वह निम्नलिखित में से एक या अधिक कार्रवाई करेगी, अर्थात्:

(क) किसी एजेंसी या दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन द्वारा अन्वेषण, जो मामले पर निर्भर करेगा;

(ख) सक्षम प्राधिकारी द्वारा संबंधित लोक सेवक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का या कोई अन्य समुचित कार्रवाई; और

(ग) लोक सेवक के विरूद्ध कार्यवाही समाप्त कर धारा 46 के तहत शिकायतकर्ता के खिलाफ़ कार्यवाही।

'लोकपाल' द्वारा अन्वेषण (धारा 20)

यदि 'लोकपाल' शिकायत का अन्वेषण करने का निश्चय करता है तो वह किसी एजेंसी (दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन सहित) को यथासंभव शीघ्रता के साथ ऐसा करने, और अपने आदेश की तिथि से छह महीने के भीतर अन्वेषण पूरा करने का निदेश देगाः

परंतु यह भी, कि खंड (ख) के तहत अन्वेषण का आदेश देने से पहले 'लोकपाल' लोक सेवक से स्पष्टीकरण मांगेगा, ताकि यह निर्धारण किया जा सके कि अन्वेषण के लिए सरसरी तौर पर मामला बनता भी है या नहीं।

साथ ही यह भी, कि 'लोकपाल' किन्ही कारणों के आधार पर इस अवधि को एक बार में अधिकतम छह महीने के लिए और बढ़ा सकता है, परंतु इन कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना होगा।

'लोकपाल' द्वारा अभियोजन (धारा 23)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 197 या दिल्ली पुलिस विषेश स्थापन अधिनियम, 1946 की धारा 6-क या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,1988 की धारा 19 में उल्लिखित किसी बात के होते हुए भी, 'लोकपाल' को ऐसे लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी देने की शक्ति होगी जिसके खिलाफ़ उसने अन्वेषण का आदेश दिया हो।

'लोकपाल' द्वारा सौंपे गए मामलों में अन्वेषण एजेंसी अपनी जांच रिपोर्ट अधिकार क्षेत्र वाली अदालत में पेश करेगी, तथा उसकी एक प्रति 'लोकपाल' को भी भेजेगी। इस रिपोर्ट पर कम से कम तीन सदस्यों की न्यायपीठ विचार करेगी, जिसके बाद वह आरोप पत्र दायर करने की मंजूरी दे सकती है या विशेष अदालत के समक्ष रिपोर्ट को बंद करने का निदेश दे सकती है अथवा सक्षम प्राधिकारी को विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दे सकती है। 'लोकपाल' अपने अभियोजन खंड या अन्वेषण एजेंसी को विशेष अदालत में अभियोजन प्रारंभ करने का भी निदेश दे सकता है।

ऐसे मामलों में किसी भी लोक सेवक पर अगर उसके शासकीय कर्तव्य के निवर्हन के दौरान कार्य करते हुए या ऐसा कार्य करने का दावा किए जाते हुए कोई अपराध करने का आरोप लगाया गया हो तो उसके खिलाफ़ कोई अभियोजन प्रारंभ नहीं किया जाएगा, और लोकपाल की पूर्व-मंजूरी के बिना कोई भी अदालत ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं लेगी।

तलाशी एवं ज़ब्ती (धारा 26)

'लोकपाल' अगर किसी कारणवश यह मानता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्वेषण के लिए उपयोगी या सार्थक कोई दस्तावेज़ किसी स्थान पर छिपाया गया है, तो वह मामले का अन्वेषण कर रही किसी भी एजेंसी, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन सहित, को ऐसे दस्तावेज़ों को खोजने और ज़ब्त करने का अधिकार दे सकता है।

परिसंपत्तियों की कुर्की (धारा 29)

किसी मामले में 'लोकपाल' अगर किन्हीं कारणों से यह मानता है कि भ्रष्टाचार से जुड़े अपराध का आरोपी अपने पास भ्रष्टाचार से मिली कोई संपत्ति रखे हुए है, तो 'लोकपाल' ऐसी संपत्ति को अस्थाई तौर पर कुर्क करने का

आदेश दे सकता है, और यह कुर्की आदेश की तिथि से अधिकतम नब्बे दिन के लिए होगी। 'लोकपाल' जब किसी संपत्ति को अस्थाई रूप से कुर्क करे तो ऐसी कुर्की के तीस दिनों के भीतर उसे अपने अभियोजन खंड को निदेश देना होगा कि वह विशेष अदालत के समक्ष कुर्की के तथ्यों का उल्लेख करते हुए आवेदन दायर करे, और प्रार्थना करे कि लोक सेवक के खिलाफ़ विशेष अदालत में कार्यवाही पूरी होने तक संपत्ति की कुर्की की पुष्टि की जाए।

लोक सेवक का स्थानांतरण या निलंबन (धारा 32)

जहां 'लोकपाल' सरसरी तौर पर इस बात से संतुष्ट है कि प्रारंभिक जांच के दौरान लोक सेवक का अपने पद पर बने रहना ऐसी प्रारंभिक जांच को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है, या ऐसा लोक सेवक सबूतों को नष्ट या उनसे छेड़छाड़ कर सकता है या गवाहों को प्रभावित कर सकता है, तो 'लोकपाल' केंद्र सरकार से ऐसे लोक सेवक को, आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि तक, उसके पद से निलंबित या स्थानांतरित करने की सिफारिश कर सकता है। केंद्र सरकार को सामान्यतः 'लोकपाल' की सिफ़ारिश को मानना होगा, केवल ऐसे मामलों के सिवाय जहां ऐसा करना प्रशासनिक कारणों से, और इन कारणों को लिखित में दर्ज करना होगा, व्यवहार्य नहीं हो।

'लोकपाल' की पर्यवेक्षकीय शक्ति (धारा 25)

'लोकपाल' द्वारा प्रारंभिक जांच या अन्वेषण के लिए सौंपे गए मामलों में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन को निदेश देने और उस पर अधीक्षण की शक्ति होगी। 'लोकपाल' द्वारा सौंपे गए किसी मामले का अन्वेषण कर रहे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के किसी अधिकारी को 'लोकपाल' के अनुमोदन के बिना स्थानांतरित नहीं किया जा सकता।

केंद्रीय सतर्कता आयोग प्रारंभिक जांच के लिए उसे भेजी गई शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण 'लोकपाल' को भेजेगा। ऐसा विवरण प्राप्त होने पर 'लोकपाल' ऐसे मामलों के प्रभावी और त्वरित निपटान के लिए दिशानिर्देश जारी कर सकेगा।

सरकारी अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने की शक्ति (धारा 28)

'लोकपाल' किसी प्रारंभिक जांच या अन्वेषण करने के प्रयोजन से केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी भी अधिकारी या संगठन या अन्वेषण एजेंसी की सेवाओं का उपयोग कर सकेगा।

सिविल न्यायालय की शक्तियां (धारा 27)

'लोकपाल' के समक्ष चलने वाली कोई भी कार्यवाही, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 193 की परिभाषा के अंतर्गत न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी।

प्रारंभिक जांच के उद्देश्य से लोकपाल के जांच खंड को अधिनियम में विनिर्दिष्ट कुछ मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के तहत सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी।

मामलों की जांच के लिए विशेष अदालतें (धारा 35)

केंद्र सरकार को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) से या इस अधिनियम के अंतर्गत आने वाले मामलों की सुनवाई और फ़ैसलों के लिए उतनी संख्या में विशेष अदालतों का गठन करना होगा जितनी 'लोकपाल' सिफ़ारिश करे।

विशेष अदालतों को सुनिश्चित करना होगा कि वे अपने यहाँ मामला दायर होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले को निपटा देंगी। यदि उसे एक वर्ष में नहीं निपटाया गया तो विशेष अदालत उसके लिए कारण को दर्ज करेगी, तथा सुनवाई को अधिकतम और तीन महीने की अवधि के भीतर या आगे की ऐसी अवधी के भीतर पूरी करेगी जो प्रत्येक बार अधिकतम तीन माह हो, और ऐसी सभी त्रैमासिक अवधियों की समाप्ती से पहले इसके कारणों को लिखित में दर्ज किया जाना होगा, परंतु जो सब मिला कर अधिकतम दो वर्ष की अवधि से ज़्यादा न हो।

झूठी शिकायत के लिए सज़ा (धारा 46)

कोई व्यक्ति अगर झूठी और तुच्छ या केवल तंग करने के इरादे से शिकायत करता है, तो दोषी पाए जाने पर उसे एक साल तक की जेल की सज़ा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। झूठी शिकायत करने का दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को उस लोक सेवक को मुआवज़ा देने के साथ ही मुकदमा लड़ने के लिए उस लोक सेवक द्वारा किए गए कानूनी ख़र्च की रकम भी चुकानी होगी, जिसके खिलाफ उसने झूठी शिकायत की थी। हालांकि, सच्ची भावना से की गई शिकायतों के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस धारा के तहत अपराध का संज्ञान केवल किसी विषेश अदालत द्वारा ही लिया जाएगा।

अधिनियम का सर्वोपरि स्थान (धारा 56)

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के विपरीत अगर किसी अन्य कानून या उस कानून से उत्पन्न किसी लिखित दस्तावेज़ में कोई व्यवस्था है तो भी इसी अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

लोकपाल (परिवाद) नियम 2020

केंद्र सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की धारा-59 (2)(क) के अंतर्गत 2 मार्च, 2020 को लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 अधिसूचित किए। इन नियमों में शिकायतों को दर्ज कराने के प्रारूप और पद्दति की जानकारी के साथ ही 'लोकपाल' द्वारा इन शिकायतों से निपटे जाने की व्यवस्था की जानकारी भी शामिल है।

जांच आयोग अधिनियम, 1952 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में प्रावधान है कि जिस मामले में 'लोकपाल' को शिकायत की गई हो उसे जांच के लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 के तहत नहीं सौंपा जा सकता। इसके लिए जांच आयोग अधिनियम, 1952 में संशोधन किया गया है, ताकि वह लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के इस प्रावधान के अनुरूप हो जाए। इस संशोधन के बाद उसकी धारा 3 की उपधारा (1) में "समुचित सरकार" शब्दों के स्थान पर अब "जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, समुचित सरकार" शब्दों का उपयोग किया गया है।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में लोकपाल को ऐसे लोक सेवक के अभियोजन के लिए मंजूरी प्रदान करने का अधिकार है जिसके खिलाफ़ अन्वेषण का आदेश दिया गया हो। इस प्रावधान के मद्देनज़र भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में संशोधन किया गया है और उसकी धारा 19 में "जैसा लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय" शब्दों को जोड़ा गया है।

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में संशोधन

दंड प्रक्रिया संहिता को भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के समरूप बनाने के लिए दंड प्रक्रिया

संहिता, 1973 की धारा-197 में "पूर्व मंजूरी के बिना" शब्दों के पश्चात् "लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम-2013 में अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय" शब्द जोड़े गए हैं।

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 का संशोधन

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के कुछ प्रावधानों को लागू करने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं:

i) केंद्रीय सतर्कता आयोग को 'लोकपाल' द्वारा दिये गए निर्देश पर सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के खिलाफ़ शिकायत की जांच करने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में धारा 8, उपधारा (2) में खंड (ग) जोड़ा गया है;

ii) लोकपाल' द्वारा निर्देशित मामलों में आयोग को केंद्र सरकार के समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारी लोक सेवकों के खिलाफ़ प्रारंभिक जांच के आधार पर किसी एजेंसी द्वारा अन्वेषण कराने या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति दी गई है (धारा-8क);

iii) लोकपाल' द्वारा निर्देशित मामलों में आयोग को केंद्र सरकार के समूह 'ग' और समूह 'घ' के कर्मचारी लोक सेवकों के खिलाफ़ अन्वेषण रिपोर्ट के आधार पर विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल करने या विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति प्रदान की गई है (धारा- 8ख); और

सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 में एक प्रावधान (धारा 11क) द्वारा जांच निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है, जो कम से कम भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी हो , और वह 'लोकपाल' द्वारा आयोग को निर्देशित मामलों में प्रारंभिक जांच करेगा।

3. भारत के लोकपाल

अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति

भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 23 मार्च, 2019 को न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष को ''भारत के लोकपाल के सर्वप्रथम अध्यक्ष के रूप में पद की शपथ दिलाई। बाद में, चार न्यायिक सदस्यों और चार अन्य सदस्यों को अध्यक्ष द्वारा 27 मार्च, 2019 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में पद की शपथ दिलाई गई। न्यायमूर्ति श्री दिलीप बाबासाहेब भोसले ने व्यक्तिगत कारणों से 12.01.2020 को अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। दुर्भाग्यवश 2 मई, 2020 को न्यायमूर्ति श्री अजय कुमार त्रिपाठी की मृत्यु हो गई। अध्यक्ष और सदस्यों का संक्षिप्त जीवनवृत्त इस प्रकार है:

न्यायमूर्ति श्री पिनाकी चंद्र घोष

न्यायमूति श्री पिनाकी चंद्र घोष ने वाणिज्य स्नातक की डिग्री सेंट ज़ेवियर कॉलेज और विधि स्नातक की डिग्री कलकत्ता विश्वविद्यालय से प्राप्त की। वे कलकता उच्च न्यायालय में एटोर्नी-एट-लॉ भी बने। तत्पश्चात उन्होंने 1976 में कलकत्ता बार में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने पश्चिम बंगाल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अंडमान एवं निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में योगदान किया। जुलाई 1997 में उन्हें कलकता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्हें 2012 में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया, और बाद में उन्होंने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के स्थायी मुख्य न्यायाधीश की भी ज़िम्मेदारी निभाई। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने नाल्सार (NALSAR), हैदराबाद के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य का निष्पादन किया। 8 मार्च, 2013 में उन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया, जहां से वे 27 मई, 2017 को सेवानिवृत्त हुए। 29.6.2017 से 21.3.2019 तक उन्होंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली के सदस्य के रूप में सेवा की। 25 नवंबर, 2019 को उन्हें एमिटी यूनिवर्सिटी, गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. द्वारा मानद डॉक्टरेट डिग्री (एलएल.डी. ओनोरिस कौज़ा) से सम्मानित किया गया।

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती

न्यायमूर्ति श्री प्रदीप कुमार मोहंती ने 1978 में बार काउंसिल में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने मुख्यतः संवैधानिक, आपराधिक और सिविल लॉ में वकालत की, मगर साथ ही कानून की अन्य शाखाओं से जुड़े मामलों में भी सक्रिय रहे। उन्हें उड़ीसा राज्य बार काउंसिल के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया, जिस पद पर वे तीन कार्यकाल तक सेवारत रहे। वर्ष 2000 में वे उड़ीसा उच्च न्यायालय बार ऐसोसियेशन के सचिव चुने गए। उन्होंने 7.3.2002 को उड़ीसा उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में और फिर 6.3.2004 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली।

उन्हें पांच बार उड़ीसा उच्च न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। उन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और बाद में मुख्य न्यायाधीश के रूप में भी सेवा की। उन्होंने दिसंबर 2012 से अप्रैल 2016 तक उड़ीसा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में सेवा की। उन्होंने एन.एल.यू., कटक और एन.यू.एस.आर.एल., रांची के कुलाधिपति के रूप में भी कार्य किया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी

न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी ने 26 मार्च, 1984 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कार्य प्रारम्भ किया। उन्होंने स्थाई अधिवक्ता के रूप में हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, बोर्डों एवं निगमों का प्रतिनिधित्व किया। वह 1995 से 2002 तक केन्द्र सरकार की स्थायी काउन्सेल भी रहीं। बाद में उन्होंने हिमाचल प्रदेश के अपर महाधिवक्ता के रूप में सेवा की। उन्होंने सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सर्विस और कंपनी कानून सहित कानून की सभी शखाओं में वकालत की। उन्हें 2 दिसंबर, 2005 को हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। उन्हें गुजरात उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया गया, जहां उन्होने 9 जनवरी, 2006 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें 25 सितंबर, 2006 को गुजरात उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। 9 फरवरी, 2018 को वे मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुईं और उन्हें उस राज्य की पहली महिला मुख्य न्याशधीश बनने का गौरव प्राप्त हुआ। उन्हें 17 मई, 2018 को गुजरात राज्य मानवाधिकर आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री दिनेश कुमार जैन

श्री दिनेश कुमार जैन ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर से बी.टेक एवं एम.टेक किया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ हल्ल, यूनाइटेड किंगडम से एम.बी.ए. किया। उन्होंने 1983 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइ.ए.एस.) में कार्य ग्रहण किया और उन्हें महाराष्ट्र काडर आबंटित किया गया। भारत सरकार में उन्होंने संयुक्त सचिव (एमजीनरेगा), ग्रामीण विकास मंत्रालय और अपर सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के रूप में काम किया है।

उन्होंने महाराष्ट्र शासन में सचिव, ग्रामीण विकास, सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं वित्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर सेवा की। उन्हें मई, 2018 में महाराष्ट्र शासन का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम

श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम राजस्थान विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्होने यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलीफोर्निया, यू.एस.ए. से अपराधशास्त्र में एम.एस. डिग्री भी अर्जित की है। उन्होंने 1980 में भारतीय पुलिस सेवा (आइ.पी.एस.) में कार्यग्र हण किया और उन्हें तमिलनाडु काडर आबंटित किया गया। उन्होंने पुलिस अधीक्षक, नीलगिरी, पुलिस अधीक्षक (सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध) और पुलिस उप महानिरीक्षक, वेल्लोर रेंज के रूप में काम किया। उन्होंने भारत सरकार में डीआईजी, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) के रूप में भी सेवा की; वह पहली महिला थीं, जिन्हें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो में संयुक्त निदेशक के रूप में प्रोन्नत किया गया। तमिलनाडु में अपर पुलिस महानिरीक्षक के रूप में वह अभियोजन निदेशालय, आर्थिक अपराध खंड, अपराध शाखा सीआईडी, प्रशिक्षण और पुलिस आवास निगम, तमिलनाडु की प्रमुख रहीं। उन्हें 2012 में पुलिस महानिरीक्षक के रूप में पदोन्नत किया गया और तमिलनाडु वर्दी सेवा भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया। उन्होंने 2015-16 के दौरान महानिदेशक, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के रूप में भी कार्य किया। फरवरी 2016 में सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) के महानिदेशक के रूप में अपनी नियुक्ति पर उन्होंने भारत में अर्द्ध सैनिक बल/ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला होने का गौरव हासिल किया। उन्हें 1995 में मेधावी सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक और 2005 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

श्री महेन्द्र सिंह

श्री महेन्द्र सिंह ने 1980 में इंगलिश में मास्टर्स डिग्री प्राप्त की। 1981 में उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद) में कार्य ग्रहण किया। अपने उस सेवा काल में उन्होंने देशभर में तस्कर निवारण, अवैध ड्रग व्यापार निवारण, और केंद्रीय उत्पाद आसूचना के क्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यभार संभाले। उन्हें बड़ी संख्या में तस्करी और कर अपवंचन के मामलों का पता लगाने और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट्स को तोड़ने का श्रेय प्राप्त है। उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा दो बार 'प्रशंसा प्रमाणपत्र' प्रदान किया गया। उन्हें मई 2017 में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सी.बी.आई.सी.) में सदस्य (जी.एस.टी.) के रूप में पदोन्नत किया गया। सदस्य (जी.एस.टी.) के रूप में उन्होंने 1 जुलाई, 2017 को भारत में सबसे बड़े कर-सुधार के रूप में शुरू किए गए जी.एस.टी. को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने वाले अधिकारियों के दल का नेतृत्व किया। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया।

डॉ. इंद्रजीत प्रसाद गौतम

डॉ. आइ.पी. गौतम ने 1976 में मास्टर्स डिग्री, और 1980 में लखनऊ विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सीईपीटी विश्वविद्यालय, अहमदाबाद से पीएच.डी. डिग्री प्राप्त की। डॉ. गौतम ने अपने करियर की शुरूआत सहायक आयुक्त, आय कर के रूप में भारतीय राजस्व सेवा से की; बाद में 1986 में उन्होने भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्य ग्रहण किया, और उन्हें गुजरात राज्य काडर आबंटित किया गया।

उन्होंने एस.डी.एम.; कलक्टर; संयुक्त एम.डी., जीआईआईसी; निदेशक (वित्त), सरदार सरोवर नर्मदा परियोजना; एम.डी., गुजरात पावर कारपोरेशन; सचिव ऊर्जा; सचिव, गृह; सचिव, पत्तन; तथा राजकोट और अहमदाबाद के निगमायुक्त सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य निष्पादन किया। गुजरात सरकार के प्रधान सचिव के रूप में उन्होंने अनेक प्रमुख विभागों, जैसे कि शहरी विकास, शहरी गृह निर्माण, पत्तन एवं परिवहन की अध्यक्षता की है। उन्होंने राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय रूप से सुविख्यात परियोजनाओं, जैसे कि साबरमती नदी फ्रंट, बीआरटीएस, कंकड़िया झील फ्रंट, और मेट्रो रेल परियोजना अहमदाबाद, आदि का नेतृत्व किया और उन्हें कार्यान्वित किया। उन्होंने गुजरात मेट्रो रेल कारपोरेशन लि. के प्रबंध निदेशक के रूप में भी पाँच वर्ष से अधिक समय तक सेवा की है। उन्हें 27 मार्च, 2019 को 'भारत के लोकपाल' के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है।

4. संगठन और स्थापना

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 में भारत के 'लोकपाल' की सहायता के लिए सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रावधान है।

वैधानिक पद

'लोकपाल' के सचिवालय के लिए तीन वैधानिक पद, अर्थात सचिव, निदेशक, जांच और निदेशक, अभियोजन हैं। सचिव का पद भारत सरकार के सचिव के स्तर का है जबकि जांच निदेशक और अभियोजन निदेशक के पद भारत सरकार के अपर सचिव के स्तर के हैं। इन पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए नामों के पैनल से की जाती है।

अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

वैधानिक पदों के अलावा भारत सरकार द्वारा विभिन्न स्तरों पर 124 अन्य पद स्वीकृत किए गए हैं। सभी पदों का विवरण और पदस्थता स्थिति संलग्नक-I में दी गई है।

अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अनुसार 'लोकपाल' के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। 'लोकपाल' में कर्मचारियों की नियुक्ति को सुगम बनाने के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने सचिवालयीय प्रकृति के कुछ पदों को केंद्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस), केंद्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) और केंद्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा(सीएससीएस) से संबंधित संवर्गों में शामिल किया है। 'भारत के लोकपाल' ने निम्नलिखित शर्तों के साथ इस व्यवस्था पर अपनी सहमति दे दी है:

i.) कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग सेवा रिकार्डों के साथ कर्मचारियों के नाम का प्रस्ताव अध्यक्ष, 'भारत के लोकपाल' को भेजेगा। उपयुक्त पाए जाने पर लोकपाल द्वारा उनकी तैनाती का आदेश लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 10 के अंतर्गत जारी किया जाएगा।

ii.) अध्यक्ष, 'भारत के लोकपाल' की सहमति के बिना किसी कर्मचारी को वापस नहीं लिया जाएगा।

iii.) 'भारत के लोकपाल के सचिवालय में कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर तैनात किया जाएगा।

iv.) यदि किसी खास पद के लिए कोई उपयुक्त अभ्यर्थी डी.ओ.पी.टी. के पास उपलब्ध नहीं हो, तो 'भारत के लोकपाल' अन्य सरकारी संस्थानों से भी प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों को ले सकते हैं।

जिन अन्य पदों को डी.ओ.पी.टी. द्वारा किसी संवर्ग में शामिल नहीं किया गया है, उन पर नियुक्ति प्रारंभ में अन्य सरकारी संस्थानों से उपयुक्त कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर लेकर करने का प्रस्ताव है। बाद में सीधी भर्ती द्वारा कर्मचारियों को नियुक्त किए जाने पर भी विचार किया जाएगा।

अतिरिक्त स्टाफ के लिए प्रस्ताव

भारत के लोकपाल के सचिवालय के लिए आवश्यक कर्मचारियों की संख्या का मूल्यांकन कार्य संबंधी सभी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह पाया गया है कि स्टाफ की वर्तमान स्वीकृत संख्या 'भारत के लोकपाल' को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सौंपे गए दायित्वों को निभाने के दौरान उत्पन्न होने वाले कार्यभार से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मौजूदा कार्यभार और भविष्य के संभावित कार्यभार के आंकलन के आधार पर विभिन्न श्रेणियों के 447 पदों को मंजूरी देने के प्रस्ताव को भारत सरकार के विचारार्थ और अनुमोदन के लिए भेजा गया है।

यंग प्रोफेश्नल्स (लॉ) की नियुक्ति

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन अधिनियम और इन क़ानूनों से संबंधित अदालती मामलों से संबंधित विषयों पर सतत अनुसंधान एवं विश्लेषण एक तात्कालिक आवश्यकता है। इसके अलावा, हमारे समाज में मौजूद भ्रष्टाचार के विभिन्न पहलुओं और उसके उन्मूलन के लिए उपाय सुझाने के वास्ते भी अनुसंधान किए जाने की ज़रूरत है। इस उद्देश्य के लिए यंग प्रोफेश्नल्स को नियुक्त किए जाने की आवश्यकता है। तदनुसार, दिनांक 30.09.2020 को यंग प्रोफेश्नल्स की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया एवं दिशा-निर्देश जारी किए गए। इन दिशा-निर्देशों के तहत दो यंग प्रोफेश्नल्स को नियुक्त किया गया है।

इंटर्नशिप योजना

'भारत के लोकपाल' ने भारत के भीतर मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों/ संस्थानों में स्नातक/ स्नातकोत्तर डिग्री और अनुसंधान स्कॉलर स्तर पर शिक्षारत छात्रों को इंटर्न के रूप में शामिल करने के लिए एक इंटर्नशिप योजना तैयार की है। इंटर्न छात्र लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे, जबकि 'लोकपाल' को भी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए युवा लोगों की तीक्ष्ण बुद्धि से उपजने वाले मूल्यवान विचारों का लाभ प्राप्त होगा। इंटर्नों के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, केंद्रीय सतर्कता अधिनियम, दिल्ली विषेश पुलिस स्थापन अधिनियम और इन अधिनियमों के अंतर्गत जांच, अन्वेषण और अभियोजन से संबंधित प्रक्रियाओं का व्यावहारिक ज्ञान उनके करियर उनकी में अत्यंत लाभकारी होगा।

'भारत के लोकपाल' का प्रतीक चिह्न और मूल मंत्र

आंतरिक कामकाज और आमजन के साथ प्रभावकारी संवाद के लिए किसी भी संगठन की स्पष्ट दृष्टिगत पहचान अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। संस्थान के कार्मिकों के लिए यह दृष्टिगत पहचान मित्रता और टीम भावना की अनुभूति का प्रतीक है, जबकि आमजन इस दृष्टिगत पहचान से संस्थान को झट से पहचान लेते हैं। इसके मद्देनज़र 'भारत के लोकपाल' ने अपना एक ऐसा प्रतीक चिह्न और मूल मंत्र बनाने का निर्णय लिया था जो इस संस्थान की मूल भावनाओं, विश्वासों और आचार-विचार को प्रस्तुत कर सके।

प्रतीक चिह्न एवं मूल मंत्र के डिज़ाइन के लिए एक राष्ट्रव्यापी प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार के 'मायगॉव' (MyGov) प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए किया गया। प्रतीक चिह्न के लिए प्राप्त 2,236 प्रविष्टियों में से इलाहाबाद के श्री प्रशांत मिश्रा द्वारा रचे गए निम्नांकित डिज़ाइन को 'भारत के लोकपाल' द्वारा चुना और अपनाया गया:

यह प्रतीक चिह्न 'लोकपाल' के शाब्दिक अर्थ - 'लोक' अर्थात आमजन और 'पाल' अर्थात रखवाला, यानी आमजन का रखवाला - पर आधारित है। प्रतीक चिह्न 'भारत के लोकपाल' द्वारा विधि के अनुसार न्याय की स्थापना कर देश के लोगों को दी जाने वाली सुरक्षा और

देखभाल का प्रतीक है। यह आकारों में प्रतीकात्मक रूप से लोकपाल की स्थापना के भाव को प्रकट करता है जैसे कि ऑम्बड्समैन (न्यायाधीशों की बेंच), आमजन (तीन मानव आकार), सतर्कता (आंखों की पुतली बनाते हुए अशोक चक्र), विधि (नारंगी रंग में पुस्तक का आकार) और न्यायपालिका (नीचे रखे गए दो हाथ विशिष्ट प्रकार की तराज़ू बनाते हुए)। प्रतीक चिह्न 'लोकपाल' के राष्ट्रव्यापी विस्तार को दर्शाते हुए तिरंगे में है।

मूल मंत्र के लिए प्राप्त 4,766 प्रविष्टियों में कोई भी चयन के लिए उपयुक्त नहीं पाया गया। ऐसे में 'लोकपाल' की पूर्ण पीठ द्वारा मूल मंत्र के रूप में ईशोपनिषद के निम्नलिखित प्रारंभिक श्लोक के एक अंश का चयन करने का निर्णय लिया गया:

ईशावास्यमिदंसर्वंयत्किञ्चजगत्यांजगत्।
तेनत्यक्तेनभुञ्जीथामागृधःकस्यस्विद्धनम्।।

इस श्लोक की निम्नलिखित पंक्ति को प्रतीक चिह्न के साथ प्रयोग किए जाने हेतु 'भारत के लोकपाल' के मूल मंत्र (मोटो) के रूप में अपनाया गया:

''मा गृधः कस्यस्विद्धनम्''
यानि ''किसी के धन का लोभ मत करो''

कार्यालय परिसर

प्रारंभ में 'भारत के लोकपाल' ने अशोक होटल में स्थापित अपने अस्थायी कार्यालय से काम करना शुरू किया। बाद में विधि कार्य विभाग ने वसंत कुंज सांस्थानिक क्षेत्र, फेज-II, नई दिल्ली में पूर्ववर्ती आइ.सी.ए.डी.आर. भवन का एक भाग किराये पर दिया। 'भारत के लोकपाल' के कार्यालय ने 14.02.2020 से नए कार्यालय भवन में अपना कामकाज शुरू किया।

लेकिन, कार्यालय की यह जगह कामकाज की दृष्टि से पर्याप्त नहीं है; ऐसे में प्रयास किया जा रहा है कि 'भारत के लोकपाल' का स्वयं अपना स्थायी कार्यालय हो। इस बारे में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय को 'भारत के लोकपाल' के स्थायी कार्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त ज़मीन देने के लिए पत्र लिखा गया है; जिस पर उन्होंने सूचित किया है कि आबंटन के लिए कोई उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है।

भूमि की अनुपलब्धता के कारण एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नौरोजी नगर में बना-बनाया कार्यालय-स्थल खरीदने का प्रस्ताव है। इस संबंध में एक प्रस्ताव मंजूरी हेतु कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया है।

बजट एवं व्यय

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 'लोकपाल' के प्रशासनिक ख़र्चों, जिसमें अध्यक्ष, सदस्यों, सचिव, अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं, का भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाएगा।

बजट आकलन में कार्मिक, पेंशन और लोक शिकायत मंत्रालय की मांग सं. 73 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष 2062 (सतर्कता), लघु शीर्ष 00.102 लोकपाल (भारित) में ''भारत के लोकपाल के लिए अलग प्रावधान किया गया है।

वर्ष 2020-21 के दौरान बजट आकलन में 74.70 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई थी, जिसे निधियों की आवश्यकता के पुनः मूल्यांकन के आधार पर संशोधित कर 29.67 करोड़ रु. कर दिया गया। वर्ष 2020-21 में 13.57 करोड़ रु. खर्च किए गए। कार्यालय में चूंकि कुछ रिक्तियां थीं, अतः वेतन पर व्यय बजट आकलन से कम हुआ। कार्यालय-स्थल की खरीद और लघु निर्माण कार्य के लिए आबंटित बजट में बचत हुई, क्योंकि एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से कार्यालय-स्थल की खरीद को वर्ष के दौरान मंजूरी नहीं मिल सकी। वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधानों और व्यय का विवरण संलग्नक-II में दिया गया है।

5. शिकायतों से जुड़ी जांच और अन्वेषण

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार 'लोकपाल' से ऐसे किसी भी लोक सेवक की शिकायत की जा सकती है जिस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत दंडनीय अपराध करने का आरोप हो; और उक्त शिकायत लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 – जिन्हें 2 मार्च, 2020 को अधिसूचित किया गया था – में निर्धारित प्रारूप में की जानी होगी। इन नियमों की अधिसूचना से पहले 'भारत के लोकपाल' किसी भी प्रारूप में दर्ज शिकायतों का संज्ञान ले लिया करते थे।

वर्ष 2019-20 के दौरान 'भारत के लोकपाल' के कार्यालय में कुल 1,427 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 31 मार्च, 2020 तक 'भारत के लोकपाल' द्वारा 1,347 शिकायतों पर विचार किया गया और उपयुक्त आदेश पारित किए गए। शेष 80 शिकायतों पर अगले वित्त वर्ष में आदेश पारित किए गए।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त इन 1,427 शिकायतों में से 1,218 शिकायतों को 'भारत के लोकपाल' के क्षेत्राधिकार से परे होने या आगे की कार्रवाई हेतु समुचित तथ्य नहीं होने के कारण बंद कर दिया गया। 37 मामलों में शिकायतों को इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि उन पर किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा विचार किया जा रहा था, जबकि पाँच अन्य मामलों को भी अन्य कारणों से बंद कर दिया गया। 34 मामलों में, जहां लोकपाल द्वारा कार्रवाई अपेक्षित नहीं थी, संबंधित प्राधिकारियों को उपयुक्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। 88 मामलों में शिकायतकर्ताओं से शिकायत निर्धारित प्रारूप में पुनः जमा कराने के लिए कहा गया, क्योंकि तब तक भारत सरकार अधिनियम की धारा 59 के अंतर्गत प्रारूप को अधिसूचित कर चुकी थी। 45 शिकायतों के मामले में केंद्रीय सतर्कता आयोग या संबंधित मंत्रालय से स्थिति रिपोर्ट/ जांच रिपोर्ट मांगी गई थी।

31 मार्च, 2020 को 43 शिकायतें स्थिति रिपोर्ट/ जांच रिपोर्ट के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित थीं। अतः कुल 123 शिकायतें - जिनमें 80 शिकायतें वे हैं जिनमें अगले वर्ष आदेश पारित किए गए, और 43 वे शिकायतें हैं जो 31 मार्च, 2020 के दिन विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित थीं – अगले वित्त वर्ष 2020-21 में चली आयीं।

वर्ष 2020-21 के अंत में अर्थात् 31 मार्च, 2021 को केवल ऐसी 10 शिकायतें विभिन्न एजेंसियों के पास लंबित थीं, और ये फिर 2021-22 में भी चली आई हैं।

नियमों की अधिसूचना के बाद 'भारत के लोकपाल' ने निर्धारित प्रारूप में दर्ज कराई गई शिकायतों का संज्ञान लिया है। छानबीन के बाद अगर शिकायतों को निर्धारित प्रारूप के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो शिकायतकर्ता को इसे निर्धारित प्रारूप में जमा करने की सलाह दी जाती है।

2020-21 में प्राप्त शिकायतें

वर्ष 2020-21 के दौरान 'भारत के लोकपाल' को कुल 2,355 शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें से 2,224 शिकायतें निर्धारित प्रारूप में जमा नहीं की गई थीं। इन सभी मामलों में, शिकायतकर्ताओं को लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 में निर्धारित प्रारूप में अपनी शिकायतें फाइल करने की सलाह दी गई। नियमों की एक प्रति और भरे जाने योग्य एक प्रारूप 'भारत के लोकपाल' की वेबसाइट *(https://lokpal.gov.in)* पर उपलब्ध कराया गया है।

निर्धारित प्रारूप में प्राप्त 131 शिकायतों की छानबीन पर 21 शिकायतों में कुछ कमियां पाई गई। शिकायतकर्ताओं से इन कमियों को दूर करने का अनुरोध किया गया। इन 21 शिकायतों में, पत्राचार के बावजूद शिकायतकर्ताओं ने शिकायतों को त्रुटियां दूर करने के बाद वापस नहीं भेजा, अतः इन शिकायतों पर आगे की कार्रवाई नहीं की गई। बाकी 110 शिकायतें सभी पहलुओं से पूर्ण पाई गई और तदनुसार 'भारत के लोकपाल' द्वारा इन सभी शिकायतों पर विचार किया गया है और उपयुक्त आदेश पारित किए गए हैं।

सारणी 1: शिकायतों की स्थिति

क्र.सं.	शिकायतों की स्थिति	शिकायतों की संख्या
1.	1 अप्रैल, 2020 को लंबित शिकायतें	**123**
2.	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतें	**2,355**
3.	वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के अनुरूप प्राप्त शिकायतें	**131**
4.	वर्ष 2020-21 के दौरान लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के अनुरूप प्राप्त शिकायतें, जहां शिकायत संख्या जारी की गई है	**110** (21 शिकायतों में कुछ कमियां पाई गई थी और शिकायतकर्ताओं को पत्रों के जरिए इन कमियों को दूर करने की सलाह दी गई थी)
5.	वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त शिकायतें, जो लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के अनुरूप नहीं थी। सभी शिकायतकर्ताओं को अपनी शिकायतें लोकपाल (परिवाद) नियम, 2020 के अनुरूप फाइल करने की सलाह दी गई थी।	**2,224**
6.	वर्ष 2020-21 के दौरान ''भारत के लोकपाल द्वारा डील की गई शिकायतें	**233** (2019-20 के दौरान प्राप्त 123 शिकायतें + 2020-21 के दौरान प्राप्त 110 शिकायतें)
7.	शिकायतें, जिनमें वर्ष 2020-21 के दौरान स्थिति रिपोर्ट एवं जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई	**57** (2019-20 के दौरान प्राप्त 43 शिकायतें + 2020-21 के दौरान प्राप्त 14 शिकायतें)
8.	31 मार्च, 2021 को लंबित शिकायतों की कुल संख्या	**32** (2019-20 के दौरान प्राप्त 10 शिकायतें + 2020-21 के दौरान प्राप्त 22 शिकायतें)

पंजीकृत एवं लंबित शिकायतों पर कार्रवाई

वर्ष 2020-21 के दौरान कुल 233 शिकायतों से निपटा गया, जिनमें से 201 शिकायतों को बंद कर दिया गया।

लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक जांच सामान्यतः शिकायत प्राप्ति की तिथि से नब्बे दिनों की अवधि के भीतर, और लिखित में कारणों को रिकॉर्ड करके और नब्बे दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। जांच एजेंसी को प्रारंभिक जांच के दौरान लोक सेवक और सक्षम प्राधिकारी से शिकायत में लगाए गए आरोपों पर टिप्पणियां प्राप्त करनी होती है। लेकिन, अनेक बार जांच एजेंसी समय बढ़ाने की मांग करती है, जिसके कारण प्रारंभिक जांच रिपोर्ट जमा करने में देरी होती है।

उक्त प्रावधानों के अनुसार, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, किसी एजेंसी द्वारा अन्वेषण/ विभागीय कार्यवाही की शुरुआत/ कार्यवाही को बंद करने का आदेश देने से पहले 'लोकपाल' की न्यायपीठ द्वारा लोक सेवक को सुने जाने का अवसर दिया जाना होता है। ऐसा अन्वेषण 'लोकपाल' द्वारा अन्वेषण का आदेश देने की तिथि से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करना होता है। परंतु लिखित में रिकॉर्ड किए गए कारणों से इस अवधि को एक बार में अधिक से अधिक छह माह की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। और, ऐसे अन्वेषण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, इस मामले में आगे की कार्यवाही करने से पहले सक्षम प्राधिकारी और लोक सेवक की टिप्पणी भी प्राप्त करनी होती है।

वर्ष 2020-21 के अंत में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष 110 पंजीकृत शिकायतों में से कुल 88 शिकायतों का निपटान किया गया; 16 शिकायतें प्रारंभिक जांच के लिए विभिन्न एजेंसियों के पास थी जबकि 6 शिकायतें 'लोकपाल' के पास शिकायत/ प्रारंभिक जांच रिपोर्ट पर विचार के लिए लंबित हैं। अतः इन 110 शिकायतों में से 22 को वर्ष 2021-22 में ले जाना पड़ा है।

शिकायतों में दर्ज लोक सेवकों की श्रेणियां

अधिनियम की धारा 14 में शामिल लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के खिलाफ 'लोकपाल' के समक्ष शिकायत दर्ज की जा सकती है। वर्ष 2020-21 में डील किए गए लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के विरूद्ध शिकायतों की संख्या का विवरण सारणी-2 में दिया गया है। पाई चार्ट के रूप में इस विवरण की ग्राफीय प्रस्तुति चित्र-1 में प्रदर्शित है।

शिकायतों में दर्ज लोक सेवकों के संगठन

भ्रष्टाचार के विरूद्ध संघर्ष में लगे किसी संस्थान का दीर्घकालिक उद्देश्य प्रणाली को सुधारना और कमियों को दूर करना है, ताकि भ्रष्टाचार और कदाचार की गुंजाइश ही न रहे। इस उद्देष्य को प्राप्त करने के लिए उन कार्यालयों की पहचान करना आवश्यक है, जिनके विरूद्ध भ्रष्टाचार से संबंधित अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों, जहां इन शिकायतों में नामित लोक सेवक अभिकथित कदाचार के समय काम कर रहे हैं, के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों का विवरण संलग्नक-III पर है।

शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

शिकायतों में आरोपों की प्रकृति पर आधारित विस्तृत वर्गीकरण सारणी-3 में दिया गया है। इस वर्गीकरण को पाई चार्ट के रूप में चित्र-2 में ग्राफीय रूप से प्रस्तुत किया गया है।

सारणी-2: लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध पंजीकृत शिकायतें (2020-21)

क्र.सं.	लोक सेवक की श्रेणी	शिकायतों की संख्या
1.	संसद के सदस्य	4
2.	केन्द्र सरकार के समूह 'क' या समूह 'ख' के पदधारी	66
3.	संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित या केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषित या इसके द्वारा नियंत्रित किसी निकाय, बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, कंपनी, सोसायटी, न्यास या स्वशासी निकाय का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी	77
4.	राज्य सरकार के पदधारी, राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सांविधिक निकाय, न्यायिक संस्थानें और स्वषासी निकायें	50
5.	अनुरोध, टिप्पणी या सलाह की प्रकृति की शिकायतें	19
6.	अन्य (जो उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत विशेष रूप से कवर नहीं होता है)	17
	कुल	**233**

चित्र-1: लोक सेवकों की विभिन्न श्रेणियों के विरुद्ध पंजीकृत शिकायतें

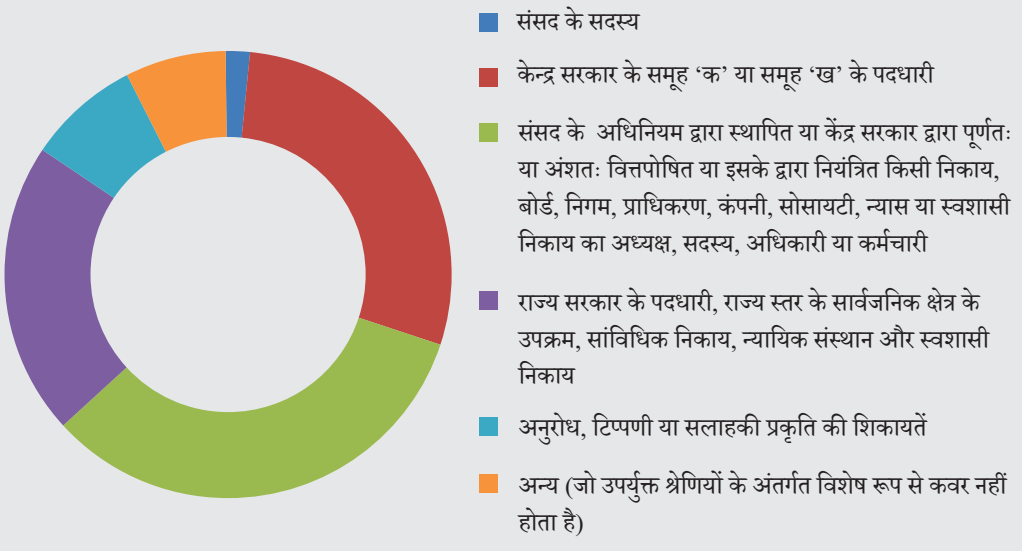

सारणी-3: शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

क्र.सं.	आरोपों की प्रकृति	शिकायतों की संख्या
1.	पदधारियों द्वारा गलत कार्रवाई या कार्रवाई नहीं करना	87
2.	लोक सेवक द्वारा आपराधिक गबन	26
3.	अन्य व्यक्तियों को अनुचित लाभ लेना	22
4.	लोक सेवक को घूस देने से संबंधित अपराध	17
5.	सेवा मामले	22
6.	स्वयं को समृद्ध करते लोक सेवक	16
7.	अनुरोध, टिप्पणी या सलाहकी प्रकृति की शिकायतें	19
8.	अन्य (जो उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत विशेष रूप से कवर नहीं होता है)	24
	कुल	**233**

चित्र-2: शिकायतों में आरोपों की प्रकृति

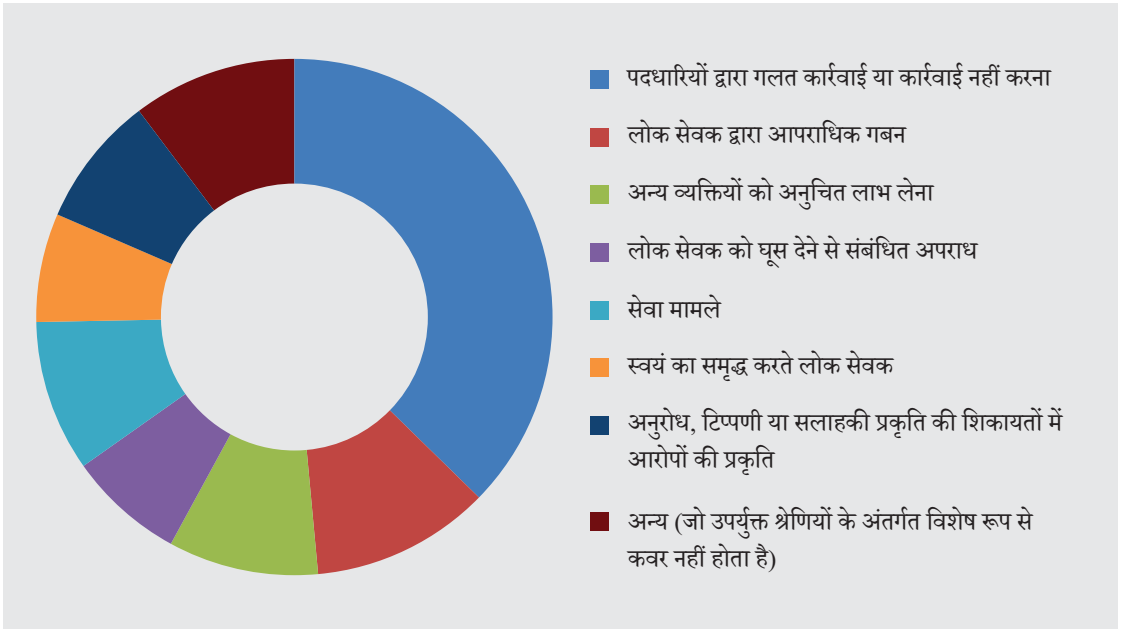

6. ई-गवर्नेंस और अन्य गतिविधियां

दक्षता और पारदर्शिता लाने, तथा लोगों तक पहुँच बढ़ाने के लिए 'भारत के लोकपाल' ने अपने कार्य-क्षेत्र के सभी पहलुओं में ई-गवर्नेंस को अपनाया है। इसी के अनुरूप, निम्नलिखित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

फाइलों की इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट (ई-ऑफिस)

'भारत के लोकपाल' के सचिवालय में ई-ऑफिस प्रणाली पूरी तरह लागू है। अब 'भारत के लोकपाल' के सचिवालय में प्रशासनिक फाइलें भौतिक रूप में यहाँ से वहाँ नहीं चलती हैं। दफ्तर के सभी काम, जैसे कि आने वाले पत्राचार की डायरी, फाइल चलाना, एक डेस्क से दूसरे डेस्क तक फाइलों की मूवमेंट, विभिन्न स्तरों पर निर्णयों की रिकार्डिंग और रिकार्डों का प्रलेख बनाना पूर्णतः डिजीटलीकृत है। आईसीटी-आधारित इस समाधान ने फाइलों और दस्तावेज़ों के मौजूदा हाथ से निपटान की व्यवस्था की बजाय एक दक्ष इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली स्थापित कर दी है। इसमें पारदर्शिता, दक्षता और संगठन में जवाबदेही के साथ कागज-रहित कार्यालय का दर्शन समाहित है। वेब-आधारित प्रणाली होने के कारण आपात स्थिति में कर्मचारी वीपीएन के जरिये इसमें कहीं से भी काम कर सकते हैं। इसमें 'डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम' भी बनाया गया है, ताकि किसी आपदा की स्थिति में फाइलें खोएँ नहीं। इस व्यवस्था के फलस्वरूप महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन के समय में भी दफ़्तर का काम बाधित नहीं हुआ। सभी स्टाफ एवं अधिकारी ई-ऑफिस का उपयोग करके घर से काम करते रहे।

इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन (ई-एच.आर.एम.एस.)

'भारत के लोकपाल' के सचिवालय में ई-एच.आर.एम.एस. (मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली) लागू किया गया है। यह एन.आई.सी. द्वारा विकसित एक वेब-आधारित समाधान है। इस प्रणाली का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा रिकॉर्ड के जरिए कार्मिकों के बेहतर प्रबंधन के लिए संगठन को एक व्यापक, उत्पाद आधारित समाधान प्रदान करना है। इसके अलावा यह कर्मचारियों की सही संख्या, सेवानिवृत्ति का स्वरूप, भर्ती की योजना बनाने के लिए आने वाले वर्ष में अतिरिक्त आवश्यकता, सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को दी जाने वाली कुल धनराशि, सरप्लस कर्मचारियों का अन्य विभागों/ संगठनों में पुनः आबंटन, आदि जानने में वरिष्ठ अधिकारियों की मदद करता है।

सेवा पंजी का डिजीटलीकरण कर दिया गया है और ऑनलाइन मोड से सेवा पंजी को अपडेट किया जा सकता है। इस प्रणाली को कर्मचारी के वेतन, जीपीएफ, सेवानिवृत्ति लाभ के लिए कर्मचारी सूचना प्रणाली (ईआईएस) के साथ समेकित किया गया है। इसे कर्मचारी द्वारा किए गए दावे के भुगतान के लिए लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी समेकित किया गया है। इस प्रणाली को एपीएआर के लिए स्पैरो और चिकित्सा लाभों के लिए सीजीएचएस के साथ भी समेकित किया जाएगा। एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है, जहां से कर्मचारी अपने अनुरोधों की स्थिति और महत्वपूर्ण ब्यौरे की आसानी से जांच कर सकते हैं। कर्मचारियों के लिए एलर्ट्स/ रिमाइंडर्स की भी व्यवस्था की गई है।

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो)

इलेक्ट्रॉनिक वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (स्पैरो) समेकित निष्पादन मूल्यांकन डोजियर पर आधारित एक ऑनलाइन प्रणाली है, जिसका रखरखाव केंद्र सरकार द्वारा सेवा के प्रत्येक सदस्य के लिए किया जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन एपीएआर की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को सुगम बनाना है। एपीएआर की रिकार्डिंग और संचलन उपयुक्त चरण पर विभिन्न तरीके की बनी बनाई चेतावनी व्यवस्था के कारण बाधा रहित, तीव्र और सुविधाजनक हो गया है। प्रणाली स्थिति जांच प्रदान करता है ताकि अधिकारी यह जान सके कि उनका एपीएआर कहां लंबित है, और उनके पास क्या लंबित है। स्पैरो अनुप्रयोग को लोकपाल के सचिवालय में कार्यान्वित किया गया है। यह प्रणाली पदधारियों के भरे हुए एपीएआर को जमा करने में देरी को कम करने की आशा भी करती है।

पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली (ई-ग्रंथालय)

'भारत के लोकपाल' के कार्यालय में ई-ग्रंथालय पुस्तकालय प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। यह सरकारी पुस्तकालयों के अनुरक्षण के लिए एनआईसी द्वारा विकसित एक डिजीटल प्लेटफार्म है। ई-ग्रंथालय परंपरागत पुस्तकालयों को डिजीटल पुस्तकालय सेवाओं के साथ ई-पुस्तकालय में बदलने के लिए उपयोगी है, जिसमें पुस्तकालयों के अंतःगृह कार्यकलापों का स्वचलन, डिजीटल पुस्तकालय समेकन और एकल खिड़की पहुंच प्रणाली का प्रयोग करके विभिन्न ऑनलाइन सदस्य सेवाएं प्रदान करना शामिल है।

पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली (भविष्य)

भविष्य एक ऑनलाइन पेंशन स्वीकृति एवं भुगतान ट्रैकिंग प्रणाली है, जिसे सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए सभी सेवानिवृत्ति बकाए का भुगतान और पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने के लिए 'भारत के लोकपाल' के कार्यालय में कार्यान्वित किया गया है। इस प्रणाली में व्यक्ति और प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा पेंशन स्वीकृति और भुगतान प्रक्रियाओं के ऑनलाइन ट्रेकिंग का प्रावधान है।

प्रणाली पेंशनभोगियों के व्यक्तिगत और सेवा विवरणों को प्रग्रहित करता है। पेंशन के संसाधन के लिए प्रपत्र को ऑनलाइन जमा किया जा सकता है। यह एसएमएस/ ई-मेल के जरिए पेंशन स्वीकृति प्रक्रिया की प्रगति की सूचना सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को देता रहता है। यह प्रणाली पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करके पेंशन के भुगतान में देरी को दूर करती है।

आगंतुक प्रबंधन प्रणाली (स्वागतम)

आगंतुकों के विवरण के अनुरक्षण हेतु 'भारत के लोकपाल' के कार्यालय में स्वागतम ई-आगंतुक प्रबंधन प्रणाली कार्यान्वित की गई है। यह एनआईसी द्वारा विकसित एक क्लाउड आधारित अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है। सरल और साधारण ऑनलाइन मुलाकात का समय लेने में स्वागतम सुविधा नागरिकों को समर्थ बनाता है। यह सरकार और आमजन के बीच के अंतर को पाटेगा और सरकारी अधिकारी से बाधामुक्त मिलने के लिए आमजन के अवसर को बढ़ाएगा। इसमें मुलाकात के समय हेतु अनुरोध करने और तब परिसर में आने की सभी बोझिल और धीमी प्रक्रियाओं को दूर करने की उन्नत विशेषता है।

'भारत के लोकपाल' की वेबसाइट

'भारत के लोकपाल' ने निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वयं का वेब-पोर्टल विकसित किया है:

i.) हितधारकों को सभी अनिवार्य और उपयोगी सूचना प्रदान करना;

ii.) आमजन को अपने विचारों और भावनाओं से अवगत कराने के लिए 'भारत के लोकपाल' को एक मंच प्रदान करना;

iii.) ऑनलाइन उपस्थिति बनाना; और

iv.) एक परस्पर संपर्क व्यवस्था प्रदान करना, जो 'भारत के लोकपाल' को मिलने वाली शिकायतों से ऑनलाइन निपटने में सहायक सिद्ध हो, जैसे कि शिकायतें प्राप्त करना, उन पर आगे की कार्यवाही करना तथा इसी क्रम में अन्य कदम उठाना, आदि।

राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) को 'भारत के लोकपाल' के लिए वेबसाइट के विकास और रखरखाव का काम सौंपा गया है। वेबसाइट 'भारत के लोकपाल' की स्थापना के प्रारंभिक दिनों से अर्थात् 16 मई 2019 से ही चल रही है, और इसे *https://lokpal.gov.in* पर देखा जा सकता है।

'भारत के लोकपाल' के कामकाज के संबंध में नागरिकों के लिए उपयोगी ज़रूरी जानकारी इस वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है। सदस्यों और सचिवालयीय स्टाफ के संपर्क ब्योरे भी इस वैबसाइट पर उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि आमजन इसे देख सकें। 'भारत के लोकपाल' की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने संबंधी विस्तृत दिशा-निर्देश भी प्रदर्शित किए गए हैं।

वेबसाइट का आवश्यक सुरक्षा ऑडिट भी कराया गया है, और यह इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुरूप है। बेवसाइट को शिकायतों की ताज़ा स्थिति के साथ मासिक आधार पर अपडेट भी किया जाता है।

शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर 'लोकपाल ऑनलाइन'

'भारत के लोकपाल' स्वच्छ शासन व्यवस्था के प्रति देश के नागरिकों की चिंताओं को दूर करने और उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। न्यूनतम कठिनाई के साथ कहीं से भी किसी भी समय अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में नागरिकों की मदद के लिए शिकायत प्रबंधन सॉफ्टवेयर 'लोकपाल ऑनलाइन' विकसित किया गया है। एनआईसी द्वारा विकसित इस सॉफ्टवेयर का उद्देश्य पुरानी हस्तचालित प्रणाली को इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली द्वारा बदल कर शिकायत प्रबंधन प्रक्रिया की उत्पादकता, गुणवत्ता और दक्षता को सुधारना है। यह अपेक्षित जवाबदेही और पारदर्शिता से शिकायतों को निपटाने की प्रक्रिया को और भी सुगम बनाएगा।

इस वेब-आधारित ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग देश का कोई भी नागरिक और 'भारत के लोकपाल' का स्टाफ कर सकता है। यह नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने और किसी भी समय उनकी स्थिति का पता लगाने में समर्थ बनाएगा।

शिकायतों से इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से निपटने की प्रक्रिया भी लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 तथा लोकपाल (परिवाद) नियम' 2020 के ही अनुसार प्रोसेस वर्कफ़्लो पर आधारित है। शिकायतें आगे की प्रक्रिया हेतु, समुचित एलर्ट्स के साथ, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में डिजिटल रूप से तब तक बढ़ती चलेंगी जब तक कि उनका निपटान न हो जाए। 'लोकपाल ऑनलाइन' पोर्टल 'भारत के लोकपाल' को शिकायतकर्ता और अन्य जांच एजेंसियों के साथ संवाद बनाए रखने में भी सहायता करेगा।

भारत के लोकपाल के स्टाफ के लिए सॉफ्टवेयर का पूर्व परीक्षण सितंबर, 2020 से शुरू हो चुका है। अभी इसका सुरक्षा ऑडिट चल रहा है, जिसके बाद इसे शीघ्र ही नागरिकों के लिए भी खोल दिया जाएगा।

भ्रष्टाचार-निरोधी रणनीतियों पर वेबिनार

अपनी स्थापना के दो वर्ष पूरा करने पर दिनांक 23 मार्च, 2021 को 'भारत के लोकपाल' द्वारा **'भ्रष्टाचार-निरोधी रणनीतियों में समरूपता'** विषय पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का उद्देश्य विभिन्न भ्रष्टाचार-निरोधी एजेंसियों के बीच समन्वय के विषय पर

व्यापक विचार-विमर्श को सुगम बनाना था। 'भारत के लोकपाल' के अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित इस वेबिनार में सभी हितधारकों, जैसे कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय को आमंत्रित किया गया था। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और विभिन्न संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों सहित लगभग 250 अधिकारियों ने भी वीडियो लिंक के ज़रिये इसमें भाग लिया। 'लोकपाल' के सदस्यों, मुख्य सतर्कता आयुक्त, सतर्कता आयुक्त, सचिव (कार्मिक), भारत सरकार, निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और निदेशक (प्रवर्तन) ने भी इसमें भाग लिया और अपने विचार व्यक्त किए।

वेबिनार को संबोधित करते हुए 'भारत के लोकपाल' के अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री पी.सी. घोष ने कहा कि दुर्भाग्यवश भ्रष्टाचार लोक संस्थानों में सभी स्तरों पर प्रवेश कर गया है। इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध 'शून्य सहिष्णुता' की नीति का अनुसरण करते हुए शुरू में ही कुचल दिया जाना होगा। उन्होने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी एजेंसियां भ्रष्टाचार के उन्मूलन में पूर्ण समन्वय और सहयोग करें। भ्रष्टाचार की रोकथाम को बढ़ावा दिये जाने की ज़्यादा आवश्यकता है, और इसे "उपचार से बेहतर रोकथाम" के रूप में अपनाया जाना चाहिए। उन्होने बताया कि इस संस्थान की स्थापना के समय से ही प्राप्त सभी शिकायतों को कानूनी प्रावधानों के अनुसार निपटाया गया है।

वेबिनार में उपस्थित एजेंसियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी सूचनाओं और जानकारियों का आदान-प्रदान तात्कालिक आधार पर किया जाना चाहिए। इस दिशा में सुझाव दिया गया कि एक ऐसा वेब पोर्टल विकसित किया जाए जिस पर विभिन्न एजेंसियां रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस के साथ आवश्यक सूचनाओं का आदान-प्रदान कर सकें।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर 8 मार्च, 2021 को 'भारत के लोकपाल' के अध्यक्ष ने इस संस्थान की महिला सदस्यों, अर्थात् न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी और श्रीमती अर्चना रामासुन्दरम को सम्मानित किया। अध्यक्ष ने कार्यस्थल पर महिलाओं के सशक्तिकरण के महत्व पर ज़ोर दिया, और कहा कि महिलाएं अद्भुत शक्ति का स्रोत होती हैं, जिसकी अभिव्यक्ति केवल शब्दों में नहीं की जा सकती।

बाद में 'भारत के लोकपाल' की सभी महिला स्टाफ सदस्यों के लिए सभागार में विचार-विमर्श का एक विशेष सत्र आयोजित किया गया। इस इंटरऐक्टिव-सत्र का विषय था: **'अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का महत्व तथा कामकाज और ज़िंदगी के बीच का संतुलन'।** सत्र की अध्यक्षता न्यायिक सदस्य, न्यायमूर्ति श्रीमती अभिलाषा कुमारी ने की। न्यायिक सदस्य श्रीमती अर्चना रामासुंदरम ने भी अपने विचार रखे, और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम: #चूज़टुचैलेंज (यानि, ''चुनौती देना चुनें'') पर प्रकाश डाला। न्यायिक सदस्यों ने एक संस्थान के रूप में 'भारत के लोकपाल' को प्रभावकारी बनाने में महिला स्टाफ के महत्वपूर्ण योगदान की खुल कर प्रशंसा की।

कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन

कार्यालय ने सरकार और ज़िला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी सुरक्षा उपाय किए। राष्ट्रीय लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब कार्यालय खुला तो निम्नलिखित सुरक्षा उपाय किए गए:

i.) सुरक्षा गार्डों को लोगों का तापमान देखने के लिए थर्मल सेंसर दिए गए। कर्मचारियों और अधिकारियों तथा आगंतुकों को कार्यालय में प्रवेश की तभी अनुमति दी गई, जब उनका तापमान निर्धारित सीमा के भीतर था;

ii.) जिन जगहों पर सभी लोगों का आना-जाना होता है, वहाँ दैनिक आधार पर सैनिटाइज़ेशन करने के लिए सैनिटाइज़ेशन छिड़काव मशीन खरीदी गई;

iii.) दोनों भवनों में सैनिटाइज़र डिस्पेंसर मशीनें भी लगाई गई;

iv.) दक्षिण दिल्ली नगर निगम की सहायता से पूरे कार्यालय को समय-समय पर सेनेटाइज़ किया गया;

v.) कार्यालय परिसरों में कार्यालय समय के दौरान प्रत्येक व्यक्ति द्वारा मास्क का प्रयोग किया गया;

vi.) कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोविड-19 के निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन 16 नवंबर, 2020 को किया गया तथा रैपिड एंटीजेन जांच और आर.टी.पी.सी.आर. जांच भी आयोजित की गई; और

vii.) शरीर में बीमारी के किसी भी लक्षण की थोड़ी सी भी आशंका होने पर कार्मिकों को तुरंत कोरोना जांच के लिए ले जया गया।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अनुपालन

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोध का समय से उत्तर देना अनिवार्य है। 'भारत के लोकपाल' के सचिवालय में 'आरटीआइ ऑनलाइन' कार्यान्वित किया गया है। यह आर.टी.आइ. के आवेदन और प्रथम अपील को ऑनलाइन दर्ज करने का पोर्टल है, और साथ ही पेमेंट गेटवे भी है। कोई भी नागरिक 'भारत के लोकपाल' से सूचना प्राप्त करने के लिए आर.टी.आइ. पोर्टल पर सीधे ही आर.टी.आइ. ओवदन फाइल कर सकता है। साथ ही कार्यालय में ऑफलाइन आर.टी.आइ. आवेदन भी स्वीकार किए जा रहे हैं, तथा सूचना भी प्रदान की जाती है।

आर.टी.आइ. आवेदन एवं अपील

वर्ष 2020-21 में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए कुल 418 आवेदन प्राप्त हुए। इन सभी आवेदनों का निपटान अधिनियम में निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया। इस अवधि के दौरान प्राप्त सभी 39 अपीलों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर निपटाया गया।

सिफ़ारिशें

'भारत के लोकपाल' ने भ्रष्टाचार और कदाचार की संभावनाओं को घटाने के लिए व्यवस्था में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव दिये हैं:

क.) 'भारत के लोकपाल' को मिली शिकायतों के अवलोकन के दौरान कुछ मामलों में यह पाया गया कि व्यवस्था में कुछ ऐसी त्रुटियां और कमियां थीं जिनके कारण भ्रष्टाचार एवं अन्य कदाचार वहाँ संभव हो सका। इन खामियों और जानकारियों के बारे में संबंधित मंत्रालय/ विभाग को अवगत कराया गया, ताकि वह मौजूदा नियमों, प्रक्रियाओं और नीतियों की समीक्षा करे और अपनी व्यवस्था को सुचारु और बेहतर बनाए तथा उन कमियों को दूर करे जिनसे विभिन्न प्रकार का कदाचार संभव हो पाता है; और

ख.) 'भारत के लोकपाल' की भूमिका और कार्य के बारे में देश के नागरिकों को और अधिक जागरूक किए जाने की आवश्यकता है। यह भी अनुभव किया गया है कि 'भारत के लोकपाल' को सोशल मीडिया में भी अपनी उपस्थिति दर्ज करनी चाहिए। ऐसे में, दैनिक कार्यकलापों के प्रबंधन के लिए एक उपयुक्त आइ.टी. प्रोफेश्नल को नियुक्त किया जाना चाहिए।

संलग्नक

संलग्नक -I

31 मार्च, 2021 को स्वीकृत पद एवं पदस्थता स्थिति

पद का नाम	7वें कें.वे.आ. के अनुसार वेतनमान स्तर	स्वीकृत कार्मिक संख्या	पदस्थ
वैधानिक पद			
सचिव	स्तर-17	1	1
जांच निदेशक	स्तर-15	1	0
अभियोजन निदेशक	स्तर-15	1	0
भारत सरकार द्वारा स्वीकृत पद *			
संयुक्त सचिव	स्तर-14	2	1
निदेशक/ उप सचिव	स्तर-13 /स्तर-12	5	2
वरिष्ठ पीपीएस/ पीपीएस	स्तर-12	12	9
अवर सचिव	स्तर-11	4	3
कोर्ट मास्टर/ कोर्ट अधिकारी	स्तर-11	3	1
लेखा अधिकारी	स्तर-10	1	1
अनुभाग अधिकारी	स्तर-8	5	2
सहायक लेखा अधिकारी	स्तर-8	2	1
सहायक रजिस्ट्रार/ कोर्ट आशुलिपिक	स्तर-8	3	0
पीएस	स्तर-8	10	0
पीए	स्तर-7	6	0
एएसओ	स्तर-7	10	3
लेखाकार	स्तर-5	3	0
एलडीसी	स्तर-2	4	0
स्टाफ कार ड्राईवर	स्तर-2	12	11
एमटीएस (आउटसोर्सिंग आधार पर)#	-	42	32
कुल		**124**	**67**

* पत्र सं. 407/19/2019-एवीडी-IV (एलपी) दिनांक 4 सितंबर, 2019 और आदेश सं 407/03/2014-एवीडी-IV (बी) (भाग 2) दिनांक 27 सितंबर, 2019 द्वारा स्वीकृत पद

\# मजदूरी संबंधी सरकारी आदेशों के अनुसार

संलग्नक- II

2020-21 के दौरान बजट प्रावधान एवं व्यय

मुख्य शीर्ष : 2062 सतर्कता
लघु शीर्ष : 00.102 लोकपाल (भारित)
उप लघु शीर्ष : 01 स्थापना

(राशि लाख रु. में)

वस्तु शीर्ष	विवरण	2019-20 में व्यय	2020-21 के दौरान बजट आबंटन और व्यय		
			बी.ई.	आर.ई.	व्यय
2062.00.102.01.00.01	वेतन	293.90	2,800.00	500.00	476.17
2062.00.102.01.00.02	मजदूरी	4.07	100.00	10.00	9.00
2062.00.102.01.00.03	समयोपरि भत्ता	0	5.00	0	0
2062.00.102.01.00.06	चिकित्सीय उपचार	6.77	100.00	70.00	12.43
2062.00.102.01.00.11	घरेलू यात्रा व्यय	8.53	250.00	100.00	0.36
2062.00.102.01.00.12	विदेशी यात्रा व्यय	0	100.00	0	0
2062.00.102.01.00.13	कार्यालय व्यय	525.92	1,362.00	800.00	502.76
2062.00.102.01.00.14	किराया, दर एवं कर	630.73	1,500.00	800.00	284.09
2062.00.102.01.00.20	अन्य प्रशासनिक व्यय	7.19	50.00	50.00	6.42
2062.00.102.01.00.27	लघु निर्माण कार्य	151.17	800.00	400.00	33.30
2062.00.102.01.00.28	व्यावसायिक सेवाएं	12.45	200.00	37.00	33.18
2062.00.102.01.00.50	अन्य प्रभार	0	3.00	0	0
कुल		**1,640.73**	**7,270.00**	**2,767.00**	**1,357.63**
4059.01.051.14.00.53	बड़े निर्माण कार्य ज़मीन का अधिग्रहण और भवन (लोकपाल) का निर्माण	0	200.00	200.00	0
समग्र योग		**1,640.73**	**7,470.00**	**2,967.00**	**1,357.63**

संलग्नक-III

शिकायतों में उल्लिखित लोक सेवकों का मंत्रालय/संगठन

क्र.सं.	जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उस लोक सेवक का मंत्रालय या संगठन	शिकायतों की संख्या
	(क) केंद्र सरकार के समूह 'क' या समूह 'ख' पदधारी	
1.	वित्त मंत्रालय	12
2.	गृह मंत्रालय	11
3.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	7
4.	कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	6
5.	संस्कृति मंत्रालय	5
6.	वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	4
7.	संचार मंत्रालय	3
8.	रेल मंत्रालय	3
9.	कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	2
10.	सूचना और प्रसारण मंत्रालय	2
11.	रक्षा मंत्रालय	1
12.	रेल मंत्रालय	1
13.	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	1
14.	युवा मामले और खेल मंत्रालय	1
15.	शिक्षा मंत्रालय	1
16.	आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय	1
17.	रसायन और उर्वरक मंत्रालय	1
18.	जल शक्ति मंत्रालय	1
19.	स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	1
20.	बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय	1
21.	मुख्य सचिव, अंडमान और निकोबार प्रशासन	1
उप-योग (क)		**66**

क्र.सं.	जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उस लोक सेवक का मंत्रालय या संगठन	शिकायतों की संख्या
	(ख) अधिनियम की धारा 14 (च) में उल्लिखित संगठनों के अध्यक्ष/ सदस्य/ अधिकारी / कर्मचारी	
22.	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	11
23.	केंद्रीय विश्वविद्यालय	8
24.	दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट	5
25.	प्रसार भारती	3
26.	आयुध निर्माण बोर्ड (पूर्ववर्ती)	3
27.	केन्द्रीय विद्यालय संगठन	2
28.	एयर इंडिया	2
29.	उत्तरी दिल्ली नगर निगम	2
30.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	2
31.	सांताक्रूज इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईईपीजेडएसईजेड)	2
32.	भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम)	2
33.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2
34.	भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड	2
35.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार	2
36.	भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल)	2
37.	सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केन्द्र	2
38.	संघ लोक सेवा आयोग	1
39.	भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान	1
40.	उन्नत कंप्यूटिंग के विकास केन्द्र (सी-डैक)	1
41.	दत्तोपंत ठेंगड़ी नेशलन बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन एंड डेवलपमेंट	1
42.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडीपीआर)	1
43.	दक्षिणी दिल्ली नगर निगम	1
44.	कर्मचारी भविष्य निधि संगठन	1
45.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिडेट	1

क्र.सं.	जिसके खिलाफ शिकायत की गई है उस लोक सेवक का मंत्रालय या संगठन	शिकायतों की संख्या
46.	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
47.	उर्वरक और रसायन त्रावणकोर लिमिटेड	1
48.	राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	1
49.	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स), धनबाद	1
50.	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर	1
51.	सीएसआईआर: भारतीय एकीकृत चिकित्सा संस्थान	1
52.	भारतीय खाद्य निगम	1
53.	दामोदर घाटी निगम	1
54.	मेटल्स एंड मिलरल्स ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1
55.	विशाखापत्तनम पोर्ट ट्रस्ट	1
56.	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1
57.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1
58.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन	1
59.	केन्द्रीय सतर्कता आयोग	1
60.	केन्द्रीय सूचना आयोग	1
61.	डीपीएस सहकारी समूह हाउसिंग सोसाइटी	1
62.	सहकारी साख समिति	1
उप-योग (ख)		77

Webinar
on
भ्रष्टाचार विरोधी कार्यनीतियों में समन्वय
"Bringing Synergies in Anti-Corruption Strategies"
Lokpal of India

भारत के लोकपाल

6, वसंत कुंज सांस्थानिक क्षेत्र,
फ़ेज़-II, नई दिल्ली - 110 070

lokpal.gov.in +91-11-2612 5017 complaint-to-lokpal@gov.in